**<u>अधिसूचना सं. 01/2020-सीमाशुल्क से 12/2020-सीमाशुल्क, तारीख 02 फरवरी, 2020 का स्पष्टीकारक ज्ञापन</u>:-**

| क्रम सं. | अधिसूचना सं. | विवरण |
|---|---|---|
| 1. | 01/2020-सीमाशुल्क, तारीख 02 फरवरी, 2020 | अधिसूचना सं. 50/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017 का और संशोधन करने के लिए है जिससे कि आधारभूत सीमाशुल्क (बीसीडी) का प्रभावी दर विहित किया जा सके । |
| 2. | 02/2020-सीमाशुल्क, तारीख 02 फरवरी, 2020 | अधिसूचना सं. 57/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017 का और संशोधन करने के लिए है जिससे कि सेलुलर मोबाइल फोन के विनिर्दिष्ट पुर्जों पर लागू बीसीडी दर में परिवर्तन किया जा सके । |
| 3. | 03/2020-सीमाशुल्क, तारीख 02 फरवरी, 2020 | अधिसूचना सं. 19/2019-सीमाशुल्क, तारीख 06 जुलाई, 2019 का और संशोधन करने के लिए है जिससे कि विनिर्दिष्ट सैन्य उपस्कर पर बीसीडी और आईजीएसटी से छूट दी जा सके यदि रक्षा बलों के लिए डीपीएसयू और पीएसयू द्वारा आयात किया जाए । |
| 4. | 04/2020-सीमाशुल्क, तारीख 02 फरवरी, 2020 | अधिसूचना सं. 148/1994-सीमाशुल्क, तारीख 13 जुलाई, 1994 का और संशोधन करने के लिए है जिससे कि भारतीय रेडक्रास द्वारा दान के रूप में प्राप्त ऊन, ऊन के वस्त्र और परिधानों को छूट दिया जा सके । |
| 5. | 05/2020-सीमाशुल्क, तारीख 02 फरवरी, 2020 | अधिसूचना सं. 25/1999-सीमाशुल्क, तारीख 28 फरवरी, 1999 का और संशोधन करने के लिए है जिससे कि सेमी कंडक्टर उपकरण या लाइट इमिटिंग डायोड के विनिर्माण में प्रयुक्त सोने पर बीसीडी छूट वापस ली जा सके और फ्यूज और कनेक्टर के विनिर्माण में उपयोग के लिए विनिर्दिष्ट पुर्जों पर छूट दी जा सके । |
| 6. | 06/2020-सीमाशुल्क, तारीख 02 फरवरी, 2020 | अधिसूचना सं. 24/2005-सीमाशुल्क, तारीख 01 मार्च, 2005 का और संशोधन करने के लिए है जिससे कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट आईटीए माल के विनिर्माण में कच्ची सामग्री उपयोग के लिए दी गई छूट से ताम्र और उसकी वस्तुओं को अपवर्जित किया जा सके । |
| 7. | 07/2020-सीमाशुल्क, तारीख 02 फरवरी, 2020 | अधिसूचना सं. 25/2005-सीमाशुल्क, तारीख 01 मार्च, 2005 का और संशोधन करने के लिए है जिससे कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट आईटीए माल के विनिर्माण में कच्ची सामग्री उपयोग के लिए दी गई छूट से ताम्र और उसकी वस्तुओं को अपवर्जित किया जा सके । |

| | | |
|---|---|---|
| 8. | 08/2020-सीमाशुल्क, तारीख 02 फरवरी, 2020 | वित्त विधेयक 2020 के खंड 139 के द्वारा शीर्ष 9018 से 9022 के अधीन आने वाले चिकित्सा उपकरणों पर अधिरोपित स्वास्थ्य उपकर से विनिर्दिष्ट माल को छूट प्रदान करने के लिए है । |
| 9. | 09/2020-सीमाशुल्क, तारीख 02 फरवरी, 2020 | विनिर्दिष्ट माल पर सामाजिक कल्याण अधिभार के उदग्रहण का पुनर्विलोकन करने के लिए अधिसूचना सं.11/2018-सीमाशुल्क, तारीख 2 फरवरी, 2018 का और संशोधन करने के लिए है । |
| 10. | 10/2020-सीमाशुल्क, तारीख 02 फरवरी, 2020 | अधिसूचना सं. 10/2020-सीमाशुल्क, तारीख 02 फरवरी, 2020 की सारणी के स्तंभ (2) में वर्णित अधिसूचनाओं का और संशोधन करने के लिए है जिससे कि वित्त विधेयक 2020 के अनुसार सृजित नए टैरिफ परम्परा के साथ स्तंभ (2) में वर्णित अधिसूचनाओं को संरेखित किया जा सके । |
| 11. | 11/2020-सीमाशुल्क, तारीख 02 फरवरी, 2020 | अधिसूचना सं. 82/2017-सीमाशुल्क, तारीख 27 अक्तूबर, 2017 का और संशोधन करने के लिए है जिससे कि क्रम सं. 31क के निरर्थक प्रविष्टि का लोप किया जा सके । |
| 12. | 12/2020-सीमाशुल्क, तारीख 02 फरवरी, 2020 | कतिपय ऐसी सीमाशुल्क अधिसूचनाओं का विखंडन करने के लिए है जो निरर्थक हो गए हैं या इन अधिसूचनाओं की प्रविष्टियां छूट देने वाली अन्य समान अधिसूचनाओं में विलीन हो गई हैं । |

**<u>अधिसूचना सं.  09/2020-सीमाशुल्क (एन.टी.) से 10/2020-सीमाशुल्क (एन.टी.), तारीख 02 फरवरी, 2020 का स्पष्टीकारक ज्ञापन</u>**

| क्र.सं. | अधिसूचना सं. | विवरण |
|---|---|---|
| 1. | 09/2020-सीमाशुल्क (एन.टी.), तारीख 02 फरवरी, 2020 | इन नियमों में परिवंचन विरोधी उपबंधों को पुर:स्थापित करने और कतिपय अन्य प्रकीर्ण परिवर्तन करने के लिए सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तु की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 का और संशोधन करने के लिए है। |
| 2. | 10/2020-सीमाशुल्क (एन.टी.), तारीख 02 फरवरी, 2020 | परिवंचन विरोधी उपबंध का परिवर्तन करने और कतिपय अन्य प्रकीर्ण परिवर्तन करने के लिए सीमाशुल्क टैरिफ (सहायकी वस्तु की पहचान, उस पर प्रतिशुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 का और संशोधन करने के लिए है। |

**<u>अधिसूचना सं. 01/2020-सीमाशुल्क (एसजी), तारीख  02 फरवरी,  2020 का स्पष्टीकारक ज्ञापन</u>**:-

| क्रम सं. | अधिसूचना सं. | विवरण |
|---|---|---|
| 1. | 01/2020-सीमाशुल्क (एसजी), तारीख  02 फरवरी,  2020 | अधिसूचना सं. 01/2018-सीमाशुल्क (एसजी), तारीख 30 जुलाई, 2018 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि वित्त विधेयक 2020 के अनुसार सृजित नए टैरिफ मदों के साथ विषयाधीन माल के टैरिफ मद को संरेखित किया जा सके । |

**<u>अधिसूचना सं.  03/2020-सीमाशुल्क (एडीडी), तारीख 02 फरवरी, 2020 का स्पष्टीकारक ज्ञापन</u>**

| **क्र.सं.** | **अधिसूचना सं.** | **विवणन** |
|---|---|---|
| 1. | 03/2020-सीमाशुल्क (एडीडी) तारीख 02 फरवरी, 2020 | प्यूरीफाइड टैरेप्थैलिक एसिड पर अधिरोपित प्रति पाटित शुल्क का प्रतिसंहरण करने और इस प्रयोजन के लिए अधिसूचना सं. 28/2016-सीमाशुल्क (एडीडी) तारीख 5 जुलाई, 2016 और अधिसूचना सं. 28/2019-सीमाशुल्क (एडीडी) तारीख 24 जुलाई, 2019 का विखंडन करने के लिए है । |